न्यायालय : अति. सेशन न्यायाधीश (म.उ.प्र.) भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :: ऋचा चौधरी, आर.जे.एस.

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या :: 128 / 2026

जानिसार अख्तर उर्फ सोनू पुत्र रहीफूद्दीन उम्र 43 साल, निवासी मंगरोप की चौकी वार्ड नंबर 34 थाना भीमगंज जिला भीलवाड़ा राज.।

प्रार्थी – अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ठ अभियोजक, भीलवाड़ा (राज.)

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस
प्रथम सूचना संख्या 38 / 2026 पुलिस थाना भीमगंज, भीलवाड़ा
अपराध अन्तर्गत धारा 308(2), 64(1), 74, 126 (2) बीएनएस व धारा 3, 5 राज. विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2005

उपस्थित :–

श्री प्रकाश सारस्वत अधिवक्ता – अभियुक्त
श्रीमती अदिति सेठिया विशिष्ठ लोक अभियोजक– विपक्षी

–:: आदेश ::– दिनांक :– 03.06.2026

प्रार्थी / अभियुक्त जानिसार अख्तर की ओर से यह प्रथम जमानत का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत इस न्यायालय में पेश किया। नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर बहस जमानत प्रार्थनापत्र सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अभियुक्त / प्रार्थी को प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया तथा वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। पुलिस द्वारा प्रकरण में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी / अभियुक्त का कथन है कि उसे झूठे एवं मनगढ़ंत आरोपों में फँसाया गया है तथा उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। अभियुक्त के अनुसार उसकी परिवादिया एवं उसके पति से पूर्व परिचय था तथा उनके बीच आर्थिक लेन–देन होता था। रुपये उधार न देने के कारण परिवादिया एवं उसके पति ने षड्यंत्रपूर्वक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रार्थी / अभियुक्त का यह भी कहना है कि प्रकरण में धर्मांतरण अथवा बलात्कार के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, उससे कोई बरामदगी शेष

नहीं है, वह स्थायी निवासी, परिवार का एकमात्र कमाने वाला एवं पूर्व में निष्कलंक चरित्र का व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

जबकि विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादिया ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध हैं। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। प्रार्थी/अभियुक्त जारिसार अख्तर का पूर्व का सजायबी रिकॉर्ड **शून्य** है।

3– उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया नवम्बर 2025 में कपडों की थैलिया बनाने के गोदाम में काम करने जाती थी वहां पर जानिसार अख्तर उर्फ सोनू भी काम करता हैं जहां पर सोनू ने उसे बताया कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते वह उनके लिए ताबिज बनाता हैं और ताबीज पहनने पर उनके बाल बच्चे हो जाते हैं और सोनू ने मुझसे 1100/– रूपये मांगे जिस पर मैंने उसे 600/– रूपये मोबाईल ट्रांसफर किये एवं 500/– रूपये नकद दिए। इसी बहाने जानिसार अख्तर उर्फ सोनू मुझसे मोबाईल पर बातचीत करने लग गया और इसी बहाने सोनू मेरे घर पर आने जाने लग गया। मेरे घर पर आकर उसने मुझे डरा धमकाकर मेरे कई अश्लील फोटो विडियो बना लिए और मुझे उन्हें वायरल करने की धमकियां देने लग गया। मुझे अपने साथ रूम पर चलने के लिए दबाव बनाता और मुझ पर हिन्दू धर्म से धर्मान्तरण कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाता एवं धमकियां देता तथा धर्मान्तरण नहीं करने पर मेरे फोटो विडियो वायरल करने की धमकियां देता और मुझे फोन कर धमकाता रहता। फरवरी 2026 में जानिसार अख्तर उर्फ सोनू मेरे घर पर आया और मुझे मेरे फोटो विडियो वायरल करने की धमकियां देकर मुझे डरा धमकाकर मेरे साथ जबरन बलात्कार किया और मुझे धमकियां दी कि यह बात किसी को बताई तो तुझे व तेरे घर वालों को जान से खत्म कर दूंगा। मैं सोनू उर्फ जानिसर की धमकियां से डरी सहमी रहने लग गई। जानिसार अख्तर उर्फ सोनू ने मुझे शुक्रवार दोपहर मुखर्जी गार्डन भीलवाडा बुलाया और मुझसे कहा कि तुझे मेरे साथ मस्जिद में चलकर तुझे अपना धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनना होगा। मैंने मस्जिद में मौलाना से तुझे हिन्दू धर्म से मुस्लिम बनाने की व मुस्लिम

धर्म अपनाने की बात कर रखी हैं। अगर तुने अपना हिन्दू धर्म त्याग कर इस्लाम कबुलकर अपना धर्मान्तरण नहीं किया तो तेरे अश्लील फोटो विडियो जो मेरे पास हैं उसे वायरल कर दूंगा, तुझे कहीं पर मुहं दिखाने लायक नही रखूंगा और मेरे साथ अश्लील हरकतें कर छाती दवाने लग गया मुझे कमर से पकड़ कर मुझे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिये मस्जिद ले जाने लगा तो मेरे द्वारा हल्ला मचाने पर वहा पर राहगीर आ गये जो सोनू को पकड़ कर दूसरी तरफ ले गए। मेरे घर वाले भी मुखर्जी गार्डन में आ गये।.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 38/2026 थाना भीमगंज में धारा 308(2), 64(1), 74, 126 (2) बीएनएस व धारा 3, 5 राज. विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2005 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

उभयपक्षों के द्वारा की गयी बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। यद्यपि पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। परंतु अभियुक्त को परिवादिया के साथ जबरन बलात्संग करने, लज्जा भंग करने के आशय से हमला व आपराधिक बल का प्रयोग करने, सदोष अवरोध करने, उद्दापन करने व जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाना व फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर जबरन बलात्कार करने का आरोप है। अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप अनुसंधान अधिकारी ने प्रमाणित माना है। यद्यपि अभियुक्त के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हो चुकी है परंतु चार्जशीट प्रस्तुत होने मात्र से अपराध की गंभीरता व गुरूता में कोई भी अंतर नहीं आया है। पत्रावली अभी बहस आरोप की स्टेज पर ही नियत है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना इस स्टेज पर अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं पाती हूं।

–:: <u>आदेश</u> ::–

लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त जानिसार अख्तर उर्फ सोनू पुत्र रहीफूद्दीन उम्र 43 साल, निवासी मंगरोप की चौकी वार्ड नंबर 34 थाना भीमगंज जिला भीलवाड़ा राज. की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(ऋचा चौधरी)

आदेश आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(ऋचा चौधरी)